ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ਼

CENTRE OF INDIAN TRADE UNIONS

સેંટર ઓફ ઈંડીયન ટ્રેડ યુનીયન્સ

भारतीय ट्रेड युनियन केन्द्र

সেন্টার অফ ইন্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়নস্

ಭಾರತೀಯ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಕೇಂದ್ರ

চেন্টাৰ অভ ইণ্ডিয়ান ট্ৰেড ইউনিয়নচ

سنٹر آف انڈین ٹریڈ یونینس

ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିଅନସ୍

సెంటర్ ఆఫ్ ఇండియన్ ట్రేడ్ యూనియన్స్

സെന്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ട്രേഡ് യൂണിയൻസ്

இந்தியத் தொழிற்சங்க மையம்

भारतीय ट्रेड यूनियन केन्द्र

का

संविधान

CITU

सी आई टी यू

सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स
का
संविधान

(बम्बई में छठे सीटू सम्मेलन, 18-22 मई 1987, द्वारा पारित संशोधन के बाद)

नाम

1. संस्था का नाम भारतीय ट्रेड यूनियन केन्द्र होगा। (संक्षेप में इसे सी. आई. टी. यू. कहा जायगा)

2. सी. आई. टी. यू. का झण्डा लाल रंग का होगा, इसके बीच में सफद रंग से हमिया और हथौड़ा अंकित होगा, बांयी और ऊपर से नीचे की ओर सी. आई. टी. यू. (CITU) अक्षर अंकित होंगे।

लक्ष्य और उद्देश्य

3. (A) सी. आई. टी. यू. का यकीन है कि उत्पादन, वितरण और विनियम के सभी साधनों के समाजीकरण तथा समाजवादी राज्य की स्थापना के द्वारा ही मजदूर वर्ग के शोषण का अन्त किया जा सकता है। समाजवाद के आदर्श के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञा सी. आई. टी. यू. सभी प्रकार के शोषण से पूर्णतया मुक्त समाज का हामी है।

(B) (a) सी. आई. टी. यू. मजदूरों के आर्थिक और सामाजिक अधिकारों पर होनेवाले सभी प्रकार के हमलों के खिलाफ, हड़ताल करने के अधिकार समेत उनके सभी जनवादी और ट्रेड यूनियन आंदोलनों के अधिकारों और स्वाधीनताओं के लिए संघर्ष करता है।

(b) सी. आई. टी. यू. गुप्त मतदान के आधार पर ट्रेड यूनियनों की मान्यता के लिए संघर्ष करता है।

(c) सी. आई. टी. यू. तनखाहों में उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए, काम के घंटों को घटाने के लिए, सुन्दर आवास-व्यवस्था के लिए और मजदूरों की जिंदगी की हालत में सुधार के लिए संघर्ष करता है।

(d) सी. आई. टी. यू. सम्पूर्ण रोजगार की रक्षा, काम करने के अधिकार के लिए बेरोजगारी की तमाम कठिनाइयों के खिलाफ संघर्ष करता है।

(e) सी. आई. टी. यू. बीमारी, दुर्घटना और वृद्धायु से मजदूरों और

उनके परिवारों की सुरक्षा के लिए, सम्पूर्ण और पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा अधिनियमों के लिए, विधवा हो गई मांओं और आश्रित बच्चों के लिए पर्याप्त पेन्सन, पर्याप्त मातृक बीमा की व्यवस्था तथा अन्य प्रकार की सामाजिक सुरक्षा के लिए, प्राविडेण्ट फण्ड तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगमों पर मजदूरों के प्रभावशाली नियंत्रण के लिए संघर्ष करता है।

(f) सी. आई. टी. यू. समान काम पर समान वेतन के लिए संघर्ष करता है।

(g) सी. आई. टी. यू. रोजगार, वेतन तथा तरक्की के मामले में छुआ-छूत, स्त्री-पुरुष तथा धर्म पर आधारित भेदभावों को मिटाने के लिए संघर्ष करता है।

(h) सी. आई. टी. यू. अल्पसंख्यकों के जनवादी अधिकारों की सुरक्षा के लिए संघर्ष करता है।

(i) सी. आई. टी. यू. सामूहिक कामों के स्थानों पर वहां के काम की हालतों को नियंत्रित करने की दृष्टि से कारखानों, वर्कशापों, व्यापार संस्थानों तथा अन्य जगहों में कमेटियों के निर्माण के लिए संघर्ष करता है।

(j) सी. आई. टी. यू. समुचित व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए संघर्ष करता है।

(k) सी. आई. टी. यू. निरक्षरता के उन्मूलन के लिए संघर्ष करता है।

(l) सी. आई. टी. यू. जहां यूनियन न हो वहां मजदूरों की यूनियनें संगठित करने में सहायता देता है और एक ही उद्योग में समानान्तर यूनियनों को एक यूनियन में लाने के लिए मजदूरों को जत्थेबन्द करने का संघर्ष करता है।

(C) (a) मजदूर वर्ग के तात्कालिक हितों के संघर्ष में सी. आई. टी. यू. मांग करता है कि :

(1) हमारे मजदूर वर्ग का बर्बरतापूर्ण शोषण करने वाले सभी विदेशी इजारेदार संस्थानों का राष्ट्रीयकरण किया जाय।

(2) सभी भारतीय इजारेदार तथा बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाय, जो मजदूरों के माथे भारी मुनाफे कमाते हैं, जो ऊंची कीमतों के बूते जनता का शोषण करते हैं और जो सरकार की जनविरोधी और मजदूर विरोधी नीतियों को निर्देशित करते हैं।

(b) सी. आई. टी. यू. जनवादी और ट्रेड यूनियन आन्दोलनों के प्रति सरकार की दमन नीति के खिलाफ संघर्ष करता है; वह पूंजीपतियों और जमींदारों की हित-रक्षा करने वाली आर्थिक नीतियों के खिलाफ, और करों

को बढ़ा कर तथा मुद्रास्फीति द्वारा जनसाधारण तथा मजदूर वर्ग पर बोझ बढ़ाने के खिलाफ लड़ता है, वह मौजूदा पूंजीवादी-सामन्ती व्यवस्था के स्थान पर जनता की जनवादी व्यवस्था के लिए संघर्ष करता है।

(d) 1. इस उद्देश्य के लिए :

(a) जनता के अन्य हिस्सों की जनवादी मांगों का समर्थन करते हुए सी. आई. टी. यू. मौजूदा पूंजीवादी सामन्ती व्यवस्था के स्थान पर जनता की जनवादी व्यवस्था के निर्माण के समान संघर्ष में अन्य जनवादी शक्तियों और संगठनों के सहयोग की अपेक्षा करता है।

(b) सी. आई, टी. यू. देश की अर्थव्यवस्था की अमरीकी और अन्य विदेशी इजारेदार पूंजी पर बढ़ती निर्भरता तथा बढ़ते विदेशी कर्जों, जिससे मजदूर वर्ग का शोषण बढ़ता जा रहा है इस कारण राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए खतरनाक स्थिति पैदा हो गई है, के खिलाफ अपनी आवाज उठाता है।

2. भूमि के लिए, महाजनी लूट, लगान तथा ऊंचे करों के खिलाफ संघर्ष में सी. आई. टी. यू. किसानों और खेतिहर मजदूरों के साथ सहयोग के सम्बन्धों को प्रोन्नत करता है और कृषि-क्रांति की शक्तियों के हक में हर प्रकार की सहायता प्रदान करता है और खेतिहर मजदूरों की मजदूरी में वृद्धि तथा अच्छी हालतों के संघर्ष को पूरा समर्थन प्रदान करता है। सी. आई. टी. यू. का विश्वास है कि मजदूर वर्ग की आर्थिक हालतों में स्थायी सुधार तब तक सम्भव नहीं हैं, जब तक भूमि के सामन्ती सम्बन्धों का पूर्णतया उन्मूलन न कर दिया जाय और बड़े जमींदारों की भूमि सम्बन्धी इजारेदारी का अन्त न कर दिया जाय।

3. समाजवाद के मुश्तरका संघर्ष में सी. आई. टी. यू. दूसरे देशों के मजदूरों से अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और एकता को प्रोन्नत करता है, समाजवादी देशों के मजदूरों और उनकी जनता के साथ भाईचारे के सम्बन्ध तथा दिली रिश्ते बढ़ाता है।

4. साम्राज्यवादी प्रभुत्व तथा आक्रमण के विरुद्ध सी. आई. टी. यू. जनता के संघर्ष की सहायता करता है और साम्राज्यवाद के विरुद्ध राष्ट्रीय स्वाधीनता के युद्धो को हर प्रकार की सहायता प्रदान करता है।

5. सी. आई. टी. यू. विश्वशांति की रक्षा के लिए, विश्वयुद्ध छेड़ने की तमाम साम्राज्यवादी साजिशों के खिलाफ, अणु युद्ध के खिलाफ तथा सामूहिक विनाश के सभी आणविक तथा अन्य हथियारों के उन्मूलन के लिए संघर्ष करता है।

6. सी. आई. टी. यू. विभिन्न सामाजिक व्यवस्थाओं वाले राज्यों के बीच शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के लिए संघर्ष करता है।

7. पड़ोसी देशों से दोस्ताना सम्बन्धों पर आधारित, युद्धविरोधी तथा शांति और राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलनों की सहायक विदेश नीति के लिए सी. आई. टी. यू. संघर्ष करता है।

8. ट्रेड यूनियन आन्दोलन के मुश्तरका उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए सी. आई. टी. यू अन्तर्राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों से सहयोग करता है।

9. सी. आई. टी. यू. अपनी इस आस्था पर दृढ़ है कि वर्ग संघर्ष के बिना कोई भी सामाजिक तबदीली नहीं लाई जा सकती और मजदूर वर्ग को वर्ग सहयोग के रास्ते पर ले जाने के सभी प्रयत्नों का वह लगातार विरोध करेगा।

जनवादी कार्य-प्रणाली

4. (a) अपने मकसद को प्राप्त करने के लिए सी. आई. टी. यू. समान उद्देश्यों के संघर्ष में दूसरे केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों तथा सम्बद्ध या असम्बद्ध यूनियनों और संगठनों के साथ संयुक्त कार्रवाई करने के लिए निरन्तर प्रयास करेगा।

(b) सी. आई. टी. यू. का विचार है कि अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हर स्तर पर संगठनों और सी. आई. टी. यू. के हर अंग की जनवादी कार्यप्रणाली अत्यावश्यक हैं।

(c) संगठन की जनवादी कार्यप्रणाली के लिए आश्वयक है कि सी. आई. टी. यू. संगठनों की सामयिक बैठकों के सम्बन्ध में की गई व्यवस्था को सख्ती से बरता जाय, उनके उत्तरदायित्वों के प्रति कर्त्तव्य का निर्वाह किया जाय और संविधान के अंतर्गत सामूहिक कार्यप्रणाली को लागू किया जाय।

(d) सी. आई. टी. यू. संगठनों के भीतर अल्पमत दृष्टिकोण को स्वतन्त्र अभिव्यक्ति का अधिकार है और इसे सभी स्तरों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए, संचयी मतदान पद्धति (क्यूमुलेटिव वोटिंग) के द्वारा इसकी गारन्टी की जानी चाहिए।

(e) सी, आई. टी. यू. संगठनों की जिम्मेदारी है कि वे चुनी गई राज्य कमेटियों तथा अन्य संगठनों के नियमानुसार जनवादी कार्यप्रणाली से चलने की गारन्टी करें, जिससे संगठन के अन्दर सभी अंगों को अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता हो।

(f) सी. आई. टी. यू. की हर राज्य कमेटी इसकी गारन्टी करेगी कि सम्बद्ध यूनियन अपने विधान के अनुसार जनवादी तरीके से चलती है। सी. आई. टी. यू. की राज्य कमेटी सम्बन्धित पक्षों से यूनियनों की गैर-जनवादी कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में सभी शिकायतों को सुनेगी।

(g) सी. आई. टी. यू. के संगठनों के निर्णय साधारण बहुमत से किये जायेंगे; संविधान या व्यवस्था के संशोधन या कार्यक्रम में परिवर्तन के लिए दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता होगी, साधारणतया सी. आई. टी. यू. संगठनों का चुनाव संचयी मतप्रदान पद्धति के आधार पर किया जायेगा।

सी. आई. टी. यू. का गठन

5. सी. आई. टी. यू. निम्नांकित अंगों से गठित होगा :

(i) सम्बद्ध यूनियनें

(ii) सी. आई. टी. यू. के त्रिवर्षीय या विशेष अधिवेशन में एकत्र प्रतिनिधिगण।

(iii) जनरल कौसिल

(iv) वर्किंग कमेटी या जनरल काउंसिल और

(v) राज्य सम्मेलन, राज्य कमेटी तथा राज्य कौंसिल।

सी. आई. टी. यू. सम्मेलन

6. (1) प्रत्येक तीन वर्षों में सामान्य अधिवेशन होगा, अधिवेशन को सी. आई. टी. यू. सम्मेलन कहा जायेगा, सी. आई. टी. यू. का यह सर्वोच्च अधिकार प्राप्त अंग है और सी. आई. टी. यू. के सभी सगठन इसी से अपने अधिकार प्राप्त करते हैं।

(2) सम्मेलन के लिए संविधान के अन्तर्गत नियमों के अनुसार सम्बद्ध यूनियनों द्वारा प्रतिनिधि चुने जायेंगे और सी. आई. टी. यू. के पदाधिकारियों की हैसियत निर्वाचित प्रतिनिधियों के समान होगी।

(3) सी. आई. टी. यू. सम्मेलन के निम्नांकित काम और अधिकार होंगे :

(a) सी. आई. टी. यू. के कार्यक्रम और आम नीति का निर्धारण तथा उनमें इस प्रकार के परिवर्तन करना जो मजदूर वर्ग के हित के अनुरूप हो।

(b) महासचिव (जनरल सेक्रेटरी) की रिपोर्ट पर बहस और उसकी स्वीकृति, विषय सूची (एजेंडा) पर अंकित प्रश्नों से सम्बन्धित जनरल कौंसिल की रिपोर्टों पर बहस और उनकी स्वीकृति।

(c) सम्बद्ध राज्य कमेटियों तथा यूनियनों द्वारा सम्मेलन के सामने पेश किए गए प्रश्नों की परीक्षा और विचार-विमर्श।

(d) मजदूर वर्ग को प्रभावित करनेवाले प्रश्नों पर प्रस्ताव पास करना।

(e) यूनियनों की सम्बद्धता, उसकी असम्बद्धता तथा अन्य प्रकार की

अनुशासनीय कार्यवाहियों के सम्बन्ध में निर्णय।

(f) जनरल कौंसिल का चुनाव।

(g) पदाधिकारियों का चुनाव,

(h) सम्मेलन स्वयं ही अपनी विषय सूची निर्धारित करेगा,

(i) सम्मेलन वर्तमान संविधान में परिवर्तन या संशोधन करेगा,

(j) निर्धारित नियमों के अनुसार सम्मेलन जनरल कौंसिल का चुनाव करेगा,

(k) आडिट किए गए हिसाब-किताब को सम्मेलन पास करेगा,

(l) सी. आ. टी. यू. कार्यक्रम तथा संविधान के अनुरूप सम्मेलन अन्य फैसले लेंगे.

विशेष अधिवेशन

7. त्रिवर्षीय सम्मेलन के बीच जनरल कौंसिल द्वारा या सी आइ टी यू की समूची सदस्य संख्या के 1/4 का प्रतिनिधित्व करने वाली यूनियनों की मांग पर सी. आई. टी. यू. का विशेष सम्मेलन बुलाया जा सकता है।

सी. आई. टी. यू. के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव

8. (a) सी. आई टी. यू. के सामान्य या विशेष अधिवेशन के लिए सम्मेलन के पहले जनरल कौंसिल द्वारा सभी डेलीगेट के लिए प्रबन्ध करने की सम्भावना और छोटी यूनियनों के हितों की रक्षा की जरूरत को ध्यान में रखते हुए तय किये गए आधार के मुताबिक सम्बद्ध यूनियनें डेलीगेटों का चुनाव करेंगी।

(b) सम्बद्ध यूनियन द्वारा सी. आई. टी. यू. सम्मेलन में भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों की संख्या निर्धारित करने का आधार यूनियन के रजिस्टर पर दर्ज चन्दा अदा करने वाले सदस्य होंगे, जैसा कि आडिटर द्वारा प्रमाणित सी. आई. टी. यू. अधिवेशन के पूर्व वाले साल में यूनियन की बैलेन्स सीट से स्पष्ट हो।

(c) सम्बद्ध यूनियनें सी. आई. टी. यू. अधिवेशन की निर्धारित तिथि से दो सप्ताह पहले प्रतिनिधियों के नाम और पते सी. आई. टी. यू. महासचिव को भेज देंगी।

(d) सचिव या अध्यक्ष द्वारा चुनाव का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने और प्रत्येक प्रतिनिधि द्वारा दो रुपए या कर्यकारिणी द्वारा तय प्रतिनिधि शुल्क दिए जाने पर ही प्रतिनिधि कार्ड दिए जायेंगे।

(e) कोई भी व्यक्ति जो सम्बद्ध यूनियन का पदाधिकारी नहीं है या

उनको चन्दा देनेवाला सदस्य या विशिष्ट सदस्य नहीं है, सी. आई. टी. यू. का प्रतिनिधि चुने जाने का अधिकारी नहीं होगा।

(f) सी. आई. टी. यू. के सामान्य अधिवेशन के लिए विषय-सूची पर प्रस्ताव सम्बद्ध यूनियनों द्वारा उनके अध्यक्ष या सचिव के हस्ताक्षरयुक्त होने चाहिए तथा वे सी. आई. टी. यू. अधिवेशन की निर्धारित तिथि से दो सप्ताह पूर्व महासचिव के पास पहुंच जाने चाहिये।

(g) सी. आई. टी. यू. अधिवेशन में दूसरे कामों की अपेक्षा आधिकारिक कामों को प्राथमिकता दी जायगी।

जनरल कौंसिल

9. (A) जनरल कौंसिल निम्न प्रकार गठित होगी।

(i) प्रेसीडेंट (सभापति)

(ii) वाइस प्रेसीडेन्ट (उप सभापति)

(iii) जनरल सेक्रेटरी (महासचिव)

(iv) कोषाध्यक्ष

(v) सेक्रेटरीज (सचिव गण)

व्याख्या : उप सभापति व सचिव कितने होंगे (संख्या) यह सम्मेलन हर अधिवेशन द्वारा तय होगा।

(vi) सी. आई. टी. यू. के सामान्य अधिवेशन में निम्नांकित आधार पर चुने गए अन्य प्रतिनिधि होंगे।

(a) प्रत्येक पांच हजार और 2500 से अधिक उसके किसी भाग पर संचयी मतप्रदान पद्धति के आधार पर एक प्रतिनिधि।

(b) जनरल कौंसिल में, केवल प्रतिनिधियों को चुने जाने का अधिकार होगा, जनरल कौंसिल के सदस्यों का चुनाव सी. आई. टी. यू. अधिवेशन में उपस्थित प्रतिनिधियों के द्वारा ही होगा।

(c) यदाकदा रिक्त स्थानों की पूर्ति जनरल कौंसिल द्वारा उसी राज्य से की जाएगी, जहां से स्थान रिक्त हुआ होगा।

(d) इस संविधान द्वारा निर्धारित तरीके से सी.आई. टी. यू की जनरल कौंसिल में चुने गए प्रतिनिधि कौंसिल में ऐसे सदस्यों को को-आप्ट कर सकते हैं, जो आवश्यक रूप से ट्रेड यूनियन आन्दोलन से सम्बन्धित न हों, लेकिन जिनकी उपस्थिति आंदोलन के हित में आवश्यक समझी जाय। इस प्रकार को-आप्ट किए गए सदस्यों की संख्या दस से अधिक नहीं होगी।

(e) जनरल कौंसिल की बैठकें साल में कम से कम एक बार अवश्य होंगी।

(f) जनरल कौंसिल के एक चौथाई सदस्यों की मांग पर महासचिव, अध्यक्ष से सलाह करके, मांग प्राप्त होने के चार सप्ताहों के भीतर ही जनरल कौंसिल की विशेष बैठक मांग-पत्र में उठाए गये प्रश्न पर विचार करने के लिए बुलाएगा।

(B) जनरल कौंसिल के अधिकार और जिम्मेदारियां

(a) सम्मेलन द्वारा निर्वाचित कौंसिल वर्किंग कमेटी का चुनाव करेगी। सी. आई. टी. यू. के दो अधिवेशनों के बीच जनरल कौंसिल सर्वोच्च अधिकार प्राप्त संस्था होगी।

(b) जनरल कौंसिल सम्मेलन की नीतियों और प्रस्तावों को कार्यान्वित करेगी, समय-समय पर ट्रेड यूनियन आंदोलन की स्थिति का पुनरावलोकन करेगी और संगठन की नीतियों को आगे बढ़ाने, मजदूर वर्ग के हितों की सुरक्षा तथा उसकी कतारों को एकताबद्ध करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी।

(c) वर्किंग कमेटी की ओर से महासचिव तथा अन्य पदाधिकारियों द्वारा पेश की गई रिपोर्ट पर जनरल कौंसिल विचार करेगी और यथोचित निर्णय लेगी। वह यह भी जाँचेगी कि सी. आई. टी. यू. के संगठन संविधान के अनुरूप जनवादी ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं, कमजोरी को दूर करने के लिए यथोचित कदम उठायेगी।

(d) ट्रेड यूनियन काम को विस्तारित करने के लिए, संगठन में नए मजदूरों को लाने के लिए और संयुक्त यूनियनों के निर्माण में मजदूरों की सहायता के लिए तथा ट्रेड यूनियन आंदोलन में एकता लाने के लिए जनरल कौंसिल सी. आई. टी. यू. कमेटियों के लिए काम की योजनाएं निर्धारित करेगी।

(e) जनरल कौंसिल समस्त भारत में सम्बद्ध यूनियनों की कार्रवाइयों को जोड़ेगी, मुश्तरका कार्रवाइयों को विकसित करने के प्रयास करेगी। संबद्ध यूनियनों द्वारा चलाई जा रही मजदूर वर्ग की हड़तालों को सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करेगी, विभिन्न उद्योगों और राज्यों के मजदूरों तथा मजदूरों और कर्मचारियों के बीच सहयोगी कार्रवाइयों का विकास करेगी।

(f) कोषाध्यक्ष द्वारा पेश किए गए हिसाब-किताब की पुष्टि जनरल कौंसिल करेगी।

(g) आन्दोलन के हित में जहां आवश्यक होगा, जनरल कौंसिल शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही करेगी,

(h) जनरल कौंसिल नई यूनियनों को सम्बद्ध करेगी और उसे संविधान

के नियमों के अनुसार त्रुटि करनेवाली यूनियनों को असम्बद्ध करने का अधिकार होगा ।

(i) जनरल कौंसिल सी. आई. टी. यू. के उद्देश्यों को प्रचारित करेगी, जररल कौंसिल शासक वर्ग तथा सरकार की मजदूर वर्ग विरोधी और जन-विरोधी नीतियों के विरुद्ध लड़ने के ठोस निर्णय लेगी ।

(j) जनरल कौंसिल सी. आई. टी. यू. सम्मेलन के त्रिवर्षीय अधिवेशन की तिथियां और स्थान निश्चित या सम्मेलन की तिथियां और स्थान निश्चित करने के लिए वर्किंग कमेटी या सेक्रेटेरियट को अधिकार देगी ।

(k) जनरल कौंसिल को सम्मेलन के दो अधिवेशनों के बीच विशेष अधिवेशन बुलाने का अधिकार होगा ।

(l) जब किसी पदाधिकारी का स्थान रिक्त हो, जनरल कौंसिल को उसे भरने का अधिकार होगा ।

(m) आपात्कालीन स्थिति में जनरल कौंसिल को संविधान में संशोधन का अधिकार होगा ।

वर्किंग कमेटी

10. 1. जनरल कौंसिल की कमेटी में निम्नांकित सम्मिलित होंगे :

(a) सी. आई. टी. यू. के सभी पदाधिकारी ।

(b) धारा 4 के पैरा (d) के प्रतिबन्धों सहित संचयी मतदान पद्धति पर आधारित जनरल कौंसिल द्वारा चुने गए सदस्य । सदस्यों की संख्या हर अधिवेशन में सम्मेलन द्वारा निर्धारित किया जायगा :

(2) वर्किंग कमेटी की बैठक वर्ष में कम से कम दो बार अवश्य होगी ।

(3) जनरल कौंसिल के दो अधिवेशनों के बीच कौंसिल की ओर से वर्किंग कमेटी काम करेगी, संविधान में संशोधन करने की बात को छोड़कर उसके अधिकार का उपयोग करेगी और उत्तरदायित्वों को निभाएगी ।

(4) वर्किंग कमेटी के निर्णय जनरल कौंसिल के आगामी अधिवेशन के समक्ष पुष्टि के लिए पेश किए जायेंगे ।

(5) सी. आई. टी. यू. की कुल सदस्य संख्या के एक चौथाई का प्रतिनिधित्व करने वाली यूनियनों की मांग पर मांगपत्र में अंकित व्यापार के लिए वर्किंग कमेटी मांग होने के दो महीने के भीतर सी. आई. टी. यू. का विशेष अधिवेशन बुलाने की कार्रवाई करेगी ।

सी. आई. टी. यू. के पदाधिकारी

11. 1. (a) सी. आई. टी. यू. के निम्नांकित पदाधिकारी होंगे :

(i) प्रेसिडेण्ट (सभापति)
(ii) जनरल सेक्रेटरी (महासचिव)
(iii) वाइस-प्रेसिडेंट्स (उप सभापति गण)
(iv) कोषाध्यक्ष और
(v) सेक्रेटरीज (सचिव गण)

(b) एक या एक से ज्यादा प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तावित और अनुमोदित नामजदगियों की प्राप्ति पर सम्मेलन के त्रिवर्षीय अधिवेशन द्वारा पदाधिकारियों का चुनाव किया जायेगा, अधिवेशन में चुने गए प्रतिनिधि या भूतपूर्व पदाधिकारी ही नामजद किए जा सकेंगे।

2 (a) अध्यक्ष जनरल कौंसिल और वर्किंग कमेटी की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे निवर्तमान अध्यक्ष सामान्य अधिवेशन तथा अपने कार्यकाल के दौरान होनेवाले अन्य किसी अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे।

(b) महासचिव और सेक्रेटेरियट (सचिव परिषद) के साथ ही वर्किंग कमेटी और जनरल कौंसिल के निर्णयों को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी अध्यक्ष की है। राज्य इकाइयों से सम्पर्क बनाए रखने, हर स्तर पर सामूहिक कार्यप्रणाली की गारंटी करने, सी. आई. टी. यू. की नीतियों को लोकप्रिय बनाने और मौजूदा परिस्थिति में उनका स्पष्टीकरण उन्हीं की जिम्मेदारी है।

3. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में जनरल कौंसिल या वर्किंग कमेटी की बैठकों में कोई उपाध्यक्ष अध्यक्षता करेगा। सी. आई. टी. यू. के सामान्य और विशेष अधिवेशन के दौरान कामकाज चलाने में उपाध्यक्ष, अध्यक्ष की सहायता करेंगे और अध्यक्षमंडल के सदस्य होंगे।

4. वर्किंग कमेटी के दो अधिवेशनों के बीच सी. आई. टी. यू. की कार्रवाइयों की ज़िम्मेदारी महासचिव की होगी, संगठन के काम को आगे बढ़ाने के लिए महासचिव, अध्यक्ष और सचिवों की राय से फौरी निर्णय ले सकते हैं।

5. दो अधिवेशनों के बीच जनरल कौंसिल और वर्किंग कमेटी द्वारा किए गए कामों की रिपोर्ट सी. आई. टी. यू. सम्मेलन के सामने महाससिव पेश करेंगे। रिपोर्ट में राज्य इकाइयों द्वारा किए गए कामों को भी तफसील होनी चाहिए। रिपोर्ट में हर स्तर पर संगठन की सामूहिक और जनवादी कार्यप्रणाली का विशिष्ट जिक्र होना चाहिए और संगठनात्मक एकता को विकसित करने के कदम बनाए जाने चाहिए, इसके अतिरिक्त रिपोर्ट में आंदोलन की समस्याओं का जिक्र होना चाहिए और उन्हें हल करने के सुझाव भी होने चाहिए जो संविधान की नीतियों और कार्यक्रम के अनुरूप हों।

महासचिव या सचिव परिषद वर्किंग कमेटी तथा जनरल कौंसिल को अपने काम की रिपोर्ट देंगे ।

6. कोषाध्यक्ष सी. आई. टी. यू. की तमाम निधि (राशि) का उचित हिसाब-किताब रखने का जिम्मेदार होगा और उन्हें सुरक्षित रखेगा, वह इस बात की गारंटी करेगा कि सी. आई. टी. यू. की निधि वर्किंग कमेटी के निर्णयों और सी. आई. टी. यू. के निर्देशन के अनुसार खर्च की जाएगी, वह हर वर्ष हिसाब-किताब को आडिट करवाएगा और पुष्टि के लिए वर्किंग कमेटी और जनरल कांउसिल के सामने पेश करेगा, वह सी. आई. टी. यू. सम्मेलन के सामने आडिटरों द्वारा प्रमाणित हिसाब-किताब पेश करेगा ।

7. सचिव गण महासचिव की जिम्मेदारियों को पूरा करने में उसकी सहायता देंगे ।

8. अध्यक्ष, महासचिव, सभी सचिव तथा पदाधिकारी सी. आई. टी. यू. की सचिव परिषद के रूप में काम करेगें ।

9. आपत्तकालीन स्थिति में या जब जनरल कौंसिल या वर्किंग कमेटी की बैठक न बुलाई जा सके, तो महत्वपूर्ण सवालों पर निर्णय वर्किंग कमेटी के सदस्यों को परिपत्र भेज कर किए जायेंगे ।

बैठकों की सूचनाएं

12. (1) (a) वर्किंग कमेटी, जनरल कौंसिल की बैठकों और सी. आई. टी. यू. के त्रिवर्षीय या विशेष अधिवेशन की सूचना (समय, स्थान और विषय सूची) महासचिव द्वारा दी जायगी और उनकी अनुपस्थिति में कोई एक सचिव यह काम करेगा ।

(b) वर्किंग कमेटी और जनरल कौंसिल की बैठकों के लिए कम से कम 15 दिन की अग्रिम सूचना और सी. आई. टी. यू. सम्मेलन के लिए कम से कम एक महीने की अग्रिम सूचना दी जायेगी ।

(c) सी. आई. टी. यू. के संविधान और कार्यक्रम में तबदीली के लिए पूरे दो महीने की अग्रिम सूचना आवश्यक है ।

(d) वर्किंग कमेटी की आपातकालीन बैठक 7 दिन का नोटिस देकर बुलाई जा सकती है ।

(e) राज्य सम्मेलन और राज्य कमेटियों की बैठकों के लिए भी यही व्यवस्था रहेगी, राज्य कमेटी के सचिव आवश्यक नोटिस देंगे ।

2. सी. आई. टी. यू. सम्मेलन के अधिवेशन और जनरल कौंसिल वर्किंग कमेटी, राज्य सम्मेलनों राज्य कमेटियों और कौंसिलों की बैठकों का कोरम सदस्यों की संख्या का 1/3 होगा ।

राज्य कमेटियां

13. (a) (जहां कहीं भी) सी. आई. टी. यू. की राज्य कमेटियां और राज्य कौंसिल सी. आई. टी. यू. की केन्द्रीय संस्थानों और सम्बद्ध यूनियनों की कार्रवाइयों के बीच महत्वपूर्ण कड़ी है।

(b) राज्य कमेटियां और कौंसिलें संबद्ध यूनियनों को सीधे मार्गदर्शन देने के लिए उत्तरदायी है और वे राज्य में मजदूर वर्ग के हितों की रक्षा, सी. आई. टी. यू. की नीतियों को कार्यान्वित करने और ट्रेड यूनियन कार्रवाइयों को विकसित करने, समानांन्तर यूनियनों को एकतावद्ध करके एक उद्योग में एक यूनियन बनाने के लिए मजदूरों को जत्थेबन्द करने के लिए उत्तरदायी है।

(c) राज्य कमेटियां और राज्य कौंसिलें राज्य की सम्बद्ध यूनियनों की कार्रवाइयों को एकजुट करने, असम्बद्ध यूनियनों की संयुक्त कार्रवाइयों के लिए काम करने और अपनी कार्रवाइयों की केन्द्रीय कार्यालय को सूचना देने के लिए जिम्मेदार है।

(d) धारा 3 में बतायी गई सी. आई. टी. यू. की राजनीतिक नीतियों और उद्देश्यों को प्रचारित करने की जिम्मेदारी राज्य कमेटियों और राज्य कौंसिलों की है।

(e) राज्य तथा सम्बद्ध यूनियनों की सामूहिक और जनवादी कार्यप्रणाली की गारंटी करने की जिम्मेदारी राज्य कमेटियों और राज्य कौंसिलों की है ताकि विभिन्न यूनियनों और प्रत्येक यूनियनों के नेताओं और सदस्यों के बीच निकट सम्बन्ध स्थापित किए जा सकें।

(f) सी. आई. टी. यू. सम्मेलन के साथ ही हर दो वर्षों पर राज्य में सी. आई. टी. यू. से सम्बद्ध सभी यूनियनों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन होगा। सम्मेलन जनरल कौंसिल की तरह ही एक राज्य कौंसिल चुनेगा, जो एक वर्किंग कमेटी का चुनाव करेगा, यदि राज्य सम्मेलन कौंसिल को अनावश्यक समझें, तो वह सीधे ही राज्य कमेटी चुन सकता है।

(g) राज्य सम्मेलन सचिव और खजांची के अलावा ऐसे पदाधिकारियों का चुनाव करेगा, जिन्हें वह ठीक समझें।

(h) राज्य सम्मेलन राज्य कौंसिल या राज्य कमेटी के लिए आधार निर्धारित करेगा और कौंसिल तथा कमेटी के लिए संख्या भी निर्धारित करेगा।

(i) राज्य सम्मेलन अपने अधिवेशन में—

(1) सी. आई. टी. यू. सम्मेलन, जनरल कौंसिल तथा वर्किंग कमेटी की नीतियों के कार्यान्वयन के फैसले करेगा, इन नीतियों के कार्यान्बयन की

गारंटी करेगा और यदि कोई यूनियन उनका उल्लंघन करती है तो इसकी रिपोर्ट देगा।

(2) सचिव की रिपोर्ट पर विचार करेगा तथा उनकों स्वीकृति प्रदान करेगा।

(3) कोषाध्यक्ष द्वारा पेश किए गए हिसाब को स्वीकृति प्रदान करेगा।

(4) राज्य सरकार की नीति समेत फौरी सवालों पर विचार-विमर्श करेगा तथा यथोचित फैसले लेगा। राज्य सम्मेलन अखिल भारतीय आंदोलन को प्रभावित करनेवाले सवालों पर, श्रम अधिनियमों तथा भारत सरकार की नीतियों पर विचार करेगा और जनरल कौंसिल को निर्णय का सुझाव देगा।

(5) सम्बद्ध यूनियनों की तमाम कार्रवाइयों को जोड़ने, एक उद्योग में एक यूनियन विकसित करने और राज्य में मजदूर-वर्ग के संघर्ष की पहल करने तथा उसका मार्गदर्शन करने के लिए कदम उठाएगा तथा अन्य राज्यों के मजदूरों के साथ भाईचारे की कार्रवाई विकसित करेगा।

(6) संविधान में दिए गए नियमों के अनुसार जनरल कौंसिल को यूनियनों की सम्बद्धता की सिफारिश करेगा, संविधान में बताये गए उन धाराओं पर जनरल कौंसिल को यूनियनों को असंबद्ध करने की सिफारिश करेगा।

(7) सी. आई. टी. यू. के राजनीतिक उद्देश्यों को सक्रियतापूर्वक लोकप्रिय करेगा और जहां आवश्यक हो यथोचित राजनीतिक कार्यवाही के लिए निर्णय लेगा, विशेषत: वह किसान संगठनों से निकट सम्बन्ध बनाने के विशिष्ट प्रयास करेगा और भूमि तथा अच्छी तनख्वाहों के लिए गरीब किसानों और खेत मजदूरों के संघर्ष का समर्थन करेगा।

(j) राज्य सम्मेलन के दो अधिवेशनों के बीच राज्य कौंसिल राज्य की अगुआ कमेटी के रूप में कार्य करेगी और राज्य कमेटी के विधान में संशोधन के अलावा अन्य मामले में राज्य सम्मेलन की सभी जिम्मेदारियां निभाएगी और उसके अधिकार पाएगी।

(k) राज्य कौंसिल के दो अधिवेशनों के बीच में राज्य कमेटी काम करेगी और उसकी जिम्मेदारियां पूरी करेगी तथा उसके अधिकारों से पूरित होगी।

(l) राज्य कमेटी की बैठक कम से कम दो महीनों में एक बार और राज्य कौंसिल की मीटिंग चार महिनों में एक बार होगी।

(m) राज्य से सम्बद्धता की सभी अर्जियों पर राज्य कमेटी बिचार करेगी और उन पर सिफारिश सी. आई. टी. यू. कार्यालय को प्रेषित करेगी, इस प्रकार की अर्जी राज्य कमेटी द्वारा प्राप्ति के दो महीनों के भीतर

महासचिव को भेजी जाएगी ।

(n) राज्य कौंसिल द्वारा अपनी कार्रवाही के लिए संविधान की व्यवस्थाओं के अनुरूप उपनियम बनाये जा सकते हैं ।

(o) राज्य कमेटी या कौंसिल किसी क्षेत्र की ट्रेड यूनियन कार्रवाइयों को सुसंबद्ध करने के लिए और सी. आई. टी. यू. के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए जहां आवश्यक हो, जिला, शहर और रीजनल कौंसिल के गठन की इजाजत दे सकती है ।

यूनियनों की सम्बद्धता

14. (a) यदि निम्नांकित शर्तें पूरी हों तो सी. आई. टी. यू. किसी भी नियमित यूनियन को अपने से सम्बद्ध कर सकता है ।

(i) सम्बद्धता की मांग करने वाली यूनियन निर्धारित फार्म पर अपनी अर्जी देगी;

(ii) इन नियमों की व्यवस्था के अनुसार वह प्रति वर्ष सम्वद्धता फीस देगी;

(iii) वह अपने विधान की एक प्रति, पदाधिकारियों की एक तालिका, अडिट किया सालाना हिसाब-किताब जिसमें चन्दा देने वाले सदस्यों की औसत संख्या और अन्य ऐसी सूचना देगी जिसे सी. आई. टी. यू. के महासचिव मांगें;

(iv) जहां कहीं भी राज्य कमेटी हो, सम्बद्धता की अर्जी राज्य कमेटी द्वारा सी. आई. टी. यू. के महासचिव को भेजी जायेंगी। ऐसी अर्जियां राज्य कमेटियों द्वारा प्राप्ति के दो महीनों के भीतर महासचिव को कमेटी की टिप्पणियों के साथ भेज दी जायेंगी, जिसमें सी. आई. टी. यू. संविधान के अनुसार यूनियन की संबद्धता की क्षमता दर्शाई जाएगी;

(v) सी. आई. टी. यू. से संबद्धता की इच्छुक यूनियन अपने सदस्यों से माहवारी, तिमाही, छमाही या सालाना कम से कम 3 रुपए सालाना सदस्यता का चन्दा उगाएगी;

(b) सी. आई. टी. यू. की वर्किंग कमेटी को किसी भी ट्रेड यूनियन की सम्बद्धता की अर्जी को मंजूर या नामंजूर कर देने का हक होगा, बशर्ते कि असन्तुष्ट यूनियन को जनरल कौंसिल या सी. आई. टी. यू. के विशेष अधिवेशन से अपील का अधिकार हो ।

सम्बद्धता शुल्क

15. प्रत्येक सम्बद्ध यूनियन सी. आई. टी. यू. को :

(a) प्रत्येक सदस्य के आधार पर सालाना बीस पैसे के हिसाब से

सम्बद्धता-शुल्क देगी, बन्धन यह होगा कि यह शुल्क 20 रु० से कम न होगी,

(b) सीटू मुखपत्र वर्किंग क्लास/सीटू मजदूर का वार्षिक चंदा देगी,

(c) कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए जनरल कांउंसिल या/और राज्य कमेटियों द्वारा निर्धारित सभी लेवी देगी,

(d) ऊपर के (a), (b) तथा (c) में देय तीनों रकम सम्द्धता शुल्क का ही अभिन्न हिस्सा होगा ।

16. (1) सम्बद्धता शुल्क प्रत्येक साल 30 जून तक अदा कर दिया जाएगा, विशेष चन्दा या लेवी जब लगाया जाएगा तब अदा किया जाएगा, सम्बद्धता शुल्क अदा न होने पर कर्त्तव्यच्युत यूनियन को जब तक वह अदायगी न कर दे, सी. आई. टी. यू. या उसके किसी संगठन में वोट देने या हिस्सा लेने से बंचित कर दिया जाएगा । शर्त यह रहेगी कि वर्किंग कमेटी विशेष स्थिति में, कारणों को लिखकर, इस प्रकार की पाबन्दी हटा देगी ।

(2) संबद्धता शुल्क की गैर-अदायगी के कारण अयोग्य घोषित यूनियन अपना बकाया और वर्तमान शुल्क अदा करने पर फिर से सम्बद्ध की जा सकती है ।

(3) धारा (1) के अन्तर्गत किसी यूनियन के अयोग्य घोषित हो जाने पर अयोग्यता 12 महीने से कम की न होगी । महासचिव एक नोटिस द्वारा उस तिथि तक के तमाम बकाया की तीन महीने के भीतर अदायगी की मांग कर संकता है । यदि निर्धारित समय के अन्दर यूनियन अपना बकाया नहीं अदा करती तो वह असंवद्ध की जा सकती है । स्पष्ट कारणों से जनरल कौंसिल विशिष्ट यूनियनों के बकाया आंशिक रूप से या पूरी तरह से छोड़ सकती है ।

राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव

17. विभिन्न राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और बैठकों के लिए प्रतिनिधि साधारणतया जनरल कौंसिल या वर्किंग कमेटी की चालू बैठकों में चुने जायेंगे । अत्यावश्यक होने पर या जब जनरल कौंसिल या वर्किंग कमेटी की मीटिंग न बुलायी जा सकती हो, वर्किंग कमेटी के सदस्यों को परिपत्र भेजकर निर्णय लिया जा सकता है ।

अंतर्राष्ट्रीय सम्बद्धता

18. सी. आई. टी. यू. ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से सम्बद्ध हो सकता है जिनके समान उद्देश्य हों ।

वित्त

19. सी. आई. टी. यू. का कोष बैंक में रहेगा और वर्किंग कमेटी को ऐसे पदाधिकारियों को नामजद करने का अधिकार होगा, जिनमें एक कोषाध्यक्ष अवश्य होगा, जिन्हें बैंक-एकाउंट खोलने तथा चालू करने का अधिकार होगा।

अनुशासनीय कार्यवाही

20. (a) जनरल कौंसिल को ऐसी किसी भी यूनियन को असम्बद्ध कर देने का अधिकार होगा, जो अपनी सम्बद्धता फीस देने में कोताही करती हो या जो जानबूझ कर सी. आई. टी. यू. के हितों और विधान के खिलाफ काम कर रही हों।

(b) मजदूर वर्ग के विरुद्ध अपराध करने वाले किसी भी पदाधिकारी को हटाने का अधिकार जनरल कौंसिल को होगा। इसी प्रकार किसी भी सदस्य के विरुद्ध जो ऐसे काम का अपराधी हो कार्यवाई करने का अधिकार जनरल कौंसिल का होगा। इस प्रकार की किसी भी कार्यवाई के पूर्व सम्बन्धित व्यक्ति को अपने व्यवहार के लिए सफाई देने का अवसर दिया जायेगा।

(c) राज्य कमेटियों तथा दूसरे संगठनों को अपने सदस्यों के बारे में कार्रवाई करने का इसी प्रकार अधिकार होगा।

(d) जनरल कौंसिल या राज्य कौंसिल द्वारा की गई कार्रवाई के खिलाफ व्यक्तियों तथा यूनियनों को सी. आई. टी. यू. सम्मेलन या राज्य सम्मेलन से अपील करने का अधिकार होगा।

(e) सीटू की नीतियों के खिलाफ काम करने वाले या फिर निष्क्रीयता के कारण या अन्य कारणों से अपने जिम्मेदारियों को न निभा पाने के लिए जिम्मेदार राज्य कमेटियों एवं राज्य कांउंसिलों को, दो तिहाई बहुमत के बल पर, भंग करने या पुनरगठित करने का जनरल कांउसिल को अधिकार होगा। इस तरह के कार्रवाई से पहले जनरल कांउसिल को सम्बन्धित राज्य कमेटी या राज्य कांउसिल की बैठक बुलाना होगा ताकि उनके सदस्यों को सुनवाई का मौका दिया जा सके। इस तरह के कार्यवाही के छः महीने के अंदर जनरल कांउसिल के नए राज्य कमेटी या/और राज्य कांउसिल के चुनाव के लिए उस राज्य के यूनियनों का सम्मेलन बुलाना होगा।

उपनियम

21. जनरल कौंसिल को ऐसे उपनियम बनाने का अधिकार होगा जो संविधान से असंगत न हो।

□□□

सी. आई. टी. यू. प्रकाशन

मिलने का पता :

भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र
6, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001

जनवरी, 1990 मूल्य : 1.50

एम. के. पंधे द्वारा भारतीय ट्रेड यूनियन केन्द्र के लिए 6, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित तथा प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, ए-21, झिलमिल इण्डस्ट्रियल एरिया, जी० टी० रोड, शाहदरा, दिल्ली-110032 द्वारा मुद्रित।